न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 01 / 2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.कै.रे.एक्ट

चौथमल पिता श्री रामानारायण जी ,जाति महाजन, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

विरूद्ध

जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।**

दिनांक– 31 / 03 / 2022

–:आदेश:–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा मोहना तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खतोनी संख्या 82 खसरा सं. 368, 369, 370 कुल किता 03 कुल रकबा 2.59 है0 लगानी 12.95 रूपये प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारीएवं कब्जेकाश्त की है जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा सं. 368, 369, 370 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जेर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जेर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जेर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर पेशोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनाक 31.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा मोहना तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खतोनी संख्या 82 खसरा सं. 368, 369, 370 कुल किता 03 कुल रकबा 2.59 है0 लगानी 12.95 रूपये प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner